राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांक : प.9(3)/शिक्षा–5/आरटीई दिशानिर्देश 2019–20/2019 जयपुर दिनांक 15/3/2019

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर।

विषयः– निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश की ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाने के संबंध में।
संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक शिविरा/प्रार/आरटीई/सी/18878/निःशुल्क प्रवेश/2017–18 दिनांक 14.3.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के तहत वर्तमान में गैर सरकारी विद्यालयों की एन्ट्री कक्षा में 25 प्रतिशत सीट्स पर प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन कार्य प्रकियाधीन है। निर्देशानुसार निदेशालय द्वारा प्रस्तावित ऑनलाईन प्रवेश प्रकिया के टाईमफ्रेम में निम्नानुसार समयावधि की वृद्धि की जाती है :–

क्र.सं.	विवरण/ गतिविधि	पूर्व टाइमफ्रेम	वृद्धि उपरान्त टाइमफ्रेम	दायित्व निर्धारण
1	अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना	15.03.2019 तक	22.03.2019 तक	संबंधित अभिभावक
2	ऑनलाईन लॉटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालकों का वरीयता क्रम निर्धारण	19.03.2019	27.03.2019	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा
3	अभिभावकों द्वारा लॉटरी उपरान्त इच्छित विद्यालय में मय आवेदन प्रपत्र एवं संलग्नकों के साथ उपस्थित होकर प्रवेश हेतु रिपोर्ट करना।	29.03.2019 तक	04.04.2019 तक	संबंधित अभिभावक
4	लाटरी द्वारा चयनित एवं निर्धारित समय सीमा में रिपोर्ट करने वाले पात्र बालकों का विद्यालय में प्रवेश	30.03.2019 से	08.04.2019 से	संबंधित निजी विद्यालय
5	निःशुल्क प्रवेशित बालकों एवं शेष 75 प्रतिशत सीटों पर प्रवेशित बालकों को प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर एन्ट्री	31.07.2019 तक	31.07.2019 तक	संबंधित निजी विद्यालय

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय

15/03/19

(महेश कुमार गेरयानी)
शासन उप सचिव